



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

आम आदमी बीमा योजना



बिहार सरकार

ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए लाभकारी योजना : सुयोग्य व्यक्ति लाभ उठाएँ :-

उद्देश्य :- ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता :- (i) वैसे ग्रामीण भूमिहीन परिवार के प्रधान अथवा कमाऊ सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है।

(ii) भूमिहीन से अभिप्रेत है वैसे परिवार जिनके पास वास की जमीन मिलाकर 50 डिसेमल से अधिक जमीन न हो।

कार्यान्वयन एजेन्सी : भारतीय जीवन बीमा निगम, बिहार, पटना।

आवेदन प्रपत्र प्राप्ति का स्थान :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी/श्रम अधीक्षक/डिस्ट्रीक्ट की मैनेजर/जिला पदाधिकारी/आम आदमी बीमा योजना कोषांग, श्रम संसाधन विभाग, पटना।

योजना में देय लाभ :-

(i) स्वाभाविक मृत्यु पर रूपये 30,000/- (तीस हजार) का भुगतान।

(ii) दुर्घटना मृत्यु पर रूपये 75,000/- (पचहत्तर हजार) का भुगतान।

(iii) पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रूपये 75,000/- (पचहत्तर हजार) का भुगतान।

(iv) आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में रूपये 37,500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ) का भुगतान।

(v) कक्षा 9 वीं से 12 वीं में पढ़ रहे अधिकतम दो बच्चों को 100/- ₹ की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान छः माही यानी 01 जुलाई एवं 01 जनवरी को देय होगा। यदि बच्चे कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन्हें छात्रवृत्ति लाभ दूसरे वर्ष देय नहीं होगा।

प्रीमियम :- 1. इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि प्रति व्यक्ति रूपये 200/- (दो सौ) वार्षिक होगी, जिसका 50: केन्द्र सरकार एवं 50: राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

2. लाभार्थी को इस योजना के लिए प्रीमियम की कुछ भी राशि नहीं देनी है।

किससे सम्पर्क करें :- अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी/जिला पदाधिकारी/ डिस्ट्रीक्ट की मैनेजर /श्रम अधीक्षक/आम आदमी बीमा योजना कोषांग, श्रम संसाधन विभाग, पटना/भारतीय जीवन बीमा निगम, (पें0 एवं0 स0 बी0) पटना।

भारतीय जीवन बीमा निगम

पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई

जीवन प्रकाश भवन, फ्रेंजर रोड, पटना, बिहार।

दूरभाष - 0612-2221662/ 2206739

श्रम संसाधन विभाग,

बिहार सरकार, विकास भवन, पटना।

दूरभाष - 0612-2232146, 2215559